**कृषि भूमि पर निर्मित आवासीय सम्पत्ति पर आयकर लगाया जाना**

1060. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर म्युनिसिपल कमेटी के अधिसूचित क्षेत्र से भी आठ किलोमीटर की परिधि के बाहर बनी आवासीय संपत्ति पर कर लगाया जा सकता है;

(ख) क्या आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत वसूल किये गये अधिक आयकर की वापसी के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ;

(ग) क्या आयकर के रूप में जमा की गई अधिक धनराशि को निर्धारित अवधि के भीतर न लौटाये जाने के लिये आयकर अधिकारियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने का कोई प्रावधान है;

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो अकायकर अधिकारियों की मनमानी और करदाताओं को परेशान किये जाने से रोकने के लिये क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्र शेखर मूर्ति)** : (क) किसी म्यूनिसिपेलटी की स्थानीय सीमाओं से 8 कि०मी० के आगे स्थित किसी भवन या इसके साथ की भूमि वाली संपत्ति के वार्षिक मूल्य पर "भवन संपत्ति के आय" शीर्ष के अधीन सभी कर लगाया जायेगा जब आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(1क) के साथ पठित धारा 10 के अन्तर्गत इसे कृषि आय के रुप में छूट न दी गई है।

(ख) विद्यमान मार्ग-निर्देशिकाओं के अनुसार वित्तीय वर्ष में दायर की गई 90% विवरणियों की आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(1)(क) के अधीन जांच करनी होती है और इसके फलस्वरूप यदि कोई वापसी करनी हो तो उसकी स्वीकृति देनी होती है । यदि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत किसी दूसरी कार्यवाही या अपील से पारित किसी आदेश के फलस्वरूप धन की वापसी देय होती है तो यह वापसी उस संबंध में कर-निर्धारिती द्वारा कोई मांग किये बिना ही करनी होती है ।

अधिनियम की धारा 224-क में यह भी निर्धारित किया गया है कि वापस की जाने वाली धनराशि पर कर निर्धारितियों को 12% वार्षिक दर पर अनिवार्य ब्याज दिया जायेगा बशर्ते वापसी की स्वीकृति देने में विलंब कर-निर्धारिती के कारण न हुआ हो ।

(ग) से (ङ) अनुदेशों और मार्ग निर्देशिकाओं के अनुसार बिना पर्याप्त कारणों के धनराशि की वापसी की स्वीकृति में अत्यधिक विलंब को प्रशासनिक रूप से देखना होता है और इसके लिये संबंधित अधिकारियों को प्रशासनिक नियमों के अन्तर्गत दंडित किया जा सकता है । ऐसे प्रशासनिक नियमों के अन्तर्गत लगाये गये दंड चेतावनी देने जैसे छोटे दंड से लेकर सेवा से निकाले जाने जैसे बड़े दंड आदि हो सकते हैं ।

**Destruction of Ganja Plants in Tamil Nadu**

1061. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Ganja plants were destroyed by the Narcotics Intelligence Bureau personnel in the Western Ghats in Madurai district, Tamil Nadu as published in The Hindu' daily dated the 1st February, 1995;

(b) whether it is also a fact that such raids and destruction of illicit cultivation of Ganja plants were conducted in the past in the Western Ghats in Tamil Nadu; and